पर्चा डिक्री

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 189/2025

उनवान :

पवन पुत्र बलवंतसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. बलवन्तसिंह पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
2. राजकुमार पुत्र बलवन्तसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
3. राममूर्ति पत्नी बलवन्तसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबंधक।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण प्रभुराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरतपुरा के जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता सं0 243/224 के मु0नं0 148 के कि0नं0 24, 25, मु0नं0 165 के कि0नं0 4 ता 7, 14 ता 17, मु0नं0 166 के कि0नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/2, 8/2, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13/2, 18/2, 19, 20/1, 20/2 की 4.5800 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 बलवन्त के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रोही मौजा सुरतपुरा के जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता संख्या 150/141 के मु0नं0 146 के कि0नं0 18 ता 22, मु0नं0 147 के कि0नं0 16, मु0नं0 165 के कि0नं0 25, मु0नं0 166 के कि0नं0 21 ता 24, मु0नं0 167 के कि0नं0 1, 2, मु.नं0 168 के कि0नं0 2 ता 4 की कुल 4.048 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त सिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 बलवन्तसिंह अकेले की बजाय वादी पवन तथा प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्तसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 2 राजकुमार को वहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:23:39 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री निधि उड़सरिया आरएएस**

प्रकरण सं0 : 206/2025

मनवान :

पवन पुत्र बलवंतसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।

:– वादी

**बनाम**

1. बलवन्तसिंह पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
2. राजकुमार पुत्र बलवन्तसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
3. राममूर्ति पत्नी बलवन्तसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबंधक।

:– **प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत : इस्तकरार हक**

**अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955**

**उपस्थिति :** वकील श्री संदीप गोदारा: **वादी**

वकील श्री प्रभुराम गोदारा: **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

**निर्णय**

**दिनांक :** 13.10.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा सुरतपुरा के जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता सं0 243/224 के मु0नं0 148 के कि0नं0 24, 25, मु0नं0 165 के कि0नं0 4 ता 7,14 ता 17, मु0नं0 166 के कि0नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/2, 8/2, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13/2, 18/2, 19, 20/1, 20/2 की 4.5800 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 बलवन्त के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रोही मौजा सुरतपुरा के जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता संख्या 150/141 के मु0नं0 146 के कि0नं0 18 ता 22, मु0नं0 147 के कि0नं0 16, मु0नं0 165 के कि0नं0 25, मु0नं0 166 के कि0नं0 21 ता 24, मु0नं0 167 के कि0नं0 1, 2, मु.नं0 168 के कि0नं0 2 ता 4 की कुल 4.048 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त सिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।वादभूमि पहले वादी के दादा हेमराज की खातेदारी हुआ करती थी जो हेमराज से विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 2, 4, 5 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर वादी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:43:39 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पवन पुत्र बलवन्तसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा सुरतपुरा जमाबंदी संवत 2075–78 खाता संख्या 243/224 प्रदर्श 1, जमाबदी रोही मौजा सुरतपुरा जमाबंदी संवत 2075–2078 खाता संख्या 150/141 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सुरतपुरा प्रदर्श 3, जमाबंदी संवत 2071–74 रोही मौजा सुरतपुरा खाता संख्या 141/132 प्रदर्श 4 व 5, असल शपथ पत्र पवन प्रदर्श 6, असल सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सुरतपुरा बलवंतसिंह पुत्र हेमराज प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये गये।



सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए । किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने ादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत ावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा सुरतपुरा जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता सं0 243/224 के मु0नं0 148 के कि0नं0 24, 25, मु0नं0 के कि0नं0 4 ता 7, 14 ता 17, मु0नं0 166 के कि0नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/2, 2, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13/2, 18/2, 19, 20/1, 20/2 की 4.5800 है0 ानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 बलवन्त के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रोही मौजा तपुरा के जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता संख्या 150/141 के मु0नं0 146 के कि0नं0 18 22, मु0नं0 147 के कि0नं0 16, मु0नं0 165 के कि0नं0 25, मु0नं0 166 के कि0नं0 21 ता 24, नं0 167 के कि0नं0 1, 2, मु.नं0 168 के कि0नं0 2 ता 4 की कुल 4.048 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त सिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण दभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 बलवन्तसिंह अकेले की बजाय वादी पवन तथा प्रतिवादी संख्या 1 लवन्तसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 2 राजकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये ावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत िया जाता है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा ोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरतपुरा के जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता सं0 243/224 के मु0नं0 148 के कि0नं0 24, 25, मु0नं0 165 के कि0नं0 4 ता 7, 14 ता 17, मु0नं0 166 के कि0नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/2, 8/2, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13/2, 18/2, 19, 20/1, 20/2 की 4.5800 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 बलवन्त के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रोही मौजा सुरतपुरा के जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता संख्या 150/141 के मु0नं0 146 के कि0नं0 18 ता 22, मु0नं0 147 के कि0नं0 16, मु0नं0 165 के कि0नं0 25, मु0नं0 166 के कि0नं0 21 ता 24, मु0नं0 167 के कि0नं0 1, 2, मु.नं0 168 के कि0नं0 2 ता 4 की कुल 4.048 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त सिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 बलवन्तसिंह अकेले की बजाय वादी पवन तथा प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्तसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 2 राजकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:23:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि उड़सरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़